संख्या -114/सीपी 454/84-2-2013-रिट 6/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर 2013

विषय रिट याचिका संख्या-7084(एस/एस)/2013 राधा धानुक व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में राज्य सरकार की ओर से प्रतिशपथ पत्र योजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3217/एससीडीआरसी/अधि 5/2006, दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में न्याय (रिट) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-डब्ल्यू आर-206/सात-6-2001, दिनांक 08 जून, 2001 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत प्रश्नगत याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के साथ प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें तथा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मासिक सूचना संकलित करते हुए इसे शासन को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in